भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2961

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

हरिद्वार में राशन की दुकानें

2961. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरिद्वार जिले की सभी राशन दुकानों को ई-पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनों से जोड़ दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आधार सीडिंग के बाद भी राशन वितरण में अनियमितताएं सामने आई हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल ही में इस संबंध में कोई स्वतंत्र संपरीक्षा या सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): हरिद्वार जिले की सभी 608 उचित दर दुकानें (एफपीएस) ईपीओएस उपकरणों से सुसज्जित हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुपुर्दगी हेतु इन एफपीएस पर आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा भी उपलब्ध है।

(ख): विभाग में ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): इस विभाग ने विचाराधीन विषय-वस्तु पर हाल ही में कोई स्वतंत्र लेखा परीक्षा या सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, इस विभाग ने चरण-I (2018-20) और चरण-II (2020-23) के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने हेतु प्रतिष्ठित निगरानी संस्थानों (एमआई) को नियुक्त किया है। एमआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट https://nfsa.gov.in/portal/Concurrent_Evaluation पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

...2/-

(घ): भारत सरकार ने लाभार्थियों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। इन्होने एनएफएसए पोर्टल और मेरा राशन मोबाइल ऐप विकसित किया है, जहाँ लाभार्थी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने व्हाट्सएप और आईवीआरएस सेवाओं का लाभ उठाते हुए एक संरचित और प्रौद्योगिकी सक्षम शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा के लिए अन्न सहायता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। शिकायतों की निगरानी, उनकी स्थिति पर नज़र रखने और लंबित मामलों की समीक्षा के लिए केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों के लिए केंद्रीय पोर्टल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी सीपीग्राम्स पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

*****